जानलेवा मेडिकल कचरा एन जी टी को नज़र नहीं आता

-जय प्रकाश त्रिपाठी

हैल्ट अस्पताल में ओपीडी ब्लॉक के पीछे, जच्चा-बच्चा में बाहर सड़क के किनारे, चेस्ट हास्पिटल में कैंपस की बायीं ओर व संक्रामक रोग अस्पताल के पीछे की तरफ़ मेडिकल कचरे के ढेर लगे रहते हैं। प्रायः कर्मचारी उसमें आग लगा देते हैं। धुएं से मरीज, तीमारदार और डॉक्टरों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। अकेले यहां के हैलट अस्पताल से रोजाना सौ किलो से अधिक मेडिकल कचरा निकलता है।

ऐसी सूचनाएं प्रायः मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं कि कानपुर के अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरा निस्तारण व्यवस्था पूरी तरह असफल है। साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन क्षेत्र के 250 अस्पतालों का प्रतिदिन 400 क्विंटल से अधिक बायोमेडिकल कचरा इधर-उधर फैला पड़ा रह जाता है। गोंडा ज़िला अस्पताल के दोनों परिसरों में 480 क्विंटल मेडिकल कचरे के ढेर लगा है। इलाहाबाद के कई मोहल्लों में खून से सने सिरिंज, ग्लब्स व ऑपरेशन के बाद की गॉज पट्टी धड़ल्ले से इधर-उधर फेंकी जा रही हैं। हरदोई में ऑपरेशन के बाद कटे-फटे अंग ज़िला अस्पताल के बाहर रोड पर फेंक दिये जाते हैं। रायपुर (छत्तीसगढ़) के अस्पतालों के मेडिकल कचरे से घुमंतू बच्चों की जान पर बन आयी है नसबन्दी कांड के बाद एक्सपायरी दवा और मेडिकल कचरे को लेकर एक टीम ने रायपुर शहर का जायजा लिया तो अस्पतालों के आसपास खुले और डस्टबिन में इंजेक्शन, खून जांचनेवाली किट, खून से सनी रुई और मानव अंग तक खुले में पड़े पाये गये।

भारत में पचास प्रतिशत से अधिक मेडिकल कचरा नदियों में बहाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश कचरा सड़ता-गलता नहीं और जमीन में पहुंचकर भूगर्भ जल को जहरीला कर देता है। अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही प्रतिदिन मेडिकल और इलेक्ट्रानिक उपकरणों आदि का 583 मीट्रिक टन कचरा ज़मीन और जल में जहर घोल रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बायोमेडिकल कचरे के ढेरों से सिरिंज, सुइयां, गोलियों की शीशियां, प्लास्टिक ड्रिप इत्यादि दोबारा निजी मेडिकल क्लीनिकों को बेच दिये जाने की भी खबरें मिल रही हैं। सरकार भी मानती हैं कि देश के कुल कूड़े का महज पांच प्रतिशत ही निस्तारित हो पा रहा है। कार्बनिक प्रदूषक कम करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने भी एक परियोजना शुरू की है। पश्चिमी देशों में बायोमेडिकल कचरे को ठिकाने लगाना व्यावसायिक गतिविधि है।

कानपुर शहर तो बॉयोमेडिकल कचरे का जैसे ढेर बन गया है। शहर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत 305 संस्थाओं से जिनमें सरकारी अस्पताल, नर्सिंगहोम और पैथालॉजी लैब्स शामिल हैं, से रोजाना तीन हज़ार किलो मेडिकल कचरा निकलता है, लेकिन निस्तारण पचास फीसदी का भी नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग अस्पतालों को नोटिस जारी कर खामोश हो लेता है। मेडिकल कचरे के निस्तारण को लेकर शहर के हैलट व उससे सम्बद्ध अस्पतालों, कांशीराम चिकित्सालय, रीजेंसी रतनदीप, महावीर नर्सिंग होम, एस लकी नर्सिंगहोम, राजाराम ट्रामा सेंटर, ब्रिज मेडिकल सेंटर जैसे निजी अस्पताल का मेडिकल पाल्यूशन कंट्रोल सोसाइटी (एमपीसीसी) के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद भी इन अस्पतालों के इर्दगिर्द खुले में कचरे के अंबार लगे रहते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जैव चिकित्सा अवशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट) निस्तारण के सम्बंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी तलब की है।

हैल्ट अस्पताल में ओपीडी ब्लॉक के पीछे, जच्चा-बच्चा में बाहर सड़क के किनारे, चेस्ट हास्पिटल में कैंपस की बायीं ओर व संक्रामक रोग अस्पताल के पीछे की तरफ़ मेडिकल कचरे के ढेर लगे रहते हैं। प्रायः कर्मचारी उसमें आग लगा देते हैं। धुएं से मरीज, तीमारदार और डॉक्टरों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। अकेले यहां के हैलट अस्पताल से रोजाना सौ किलो से अधिक मेडिकल कचरा निकलता है। इसके निस्तारण के लिये दहन संयंत्र (इंसीनरेटर) भी है। इसके बावजूद भारी मात्रा में मेडिकल कचरा मनोरोग विभाग एवं ओपीडी, इमरजेंसी ब्लॉक, सर्जरी ओटी के पीछे डंप पड़ा रहता है। इससे निमोनिया, हैजा, कॉलरा, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मेनेंजाइटिस, हेपेटाइटिस-बी जैसी बिमारियां फैलने का खतरा रहता है। उर्सला व डफरिन के कर्मी भी मेडिकल कचरे को सामान्य कूड़े के साथ फेंक देते हैं।

यही स्थिति क्लीनिक, पैथालॉजी लैब्स व छोटे नर्सिंगहोम की है। शहर के लगभग तीन दर्जन निजी अस्पताल मेडिकल कचरा निस्तारित न करने वालों का सूची में शामिल हैं यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है।

बायोमेडिकल कचरा प्रबन्धन कानून (1998) के मुताबिक ऐसा कचरा पैदा करनेवाले स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कचरे के प्रबन्धन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, लेकिन इस कानून का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। बायोमेडिकल कचरे का समुचित निपटारा न कर सार्वजनिक स्थान पर फेंकना म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, पुलिस एक्ट 69 की धारा 34, इंवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 की धारा 15 का भी उल्लंघन है। इस अपराध के लिये दोषी पाये जाने पर आरोपी को पांच साल तक की सज़ा का प्रावधान है। हैरत की बात है कि नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी एक सूची में देश के 13,037 स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों को बायोमेडिकल कचरा उत्पादन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजाना 4,05,702 किलो बायोमेडिकल कचरा पैदा होता है, जिसमें से 2,91,983 किलो कचरा ही ठिकाने लगाया जाता है। इस आंकड़े से इस बात की भी पुष्टि होती है कि रोजाना 1,13,719 किलो कचरा नष्ट नहीं किया जाता और वह अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली में वापस आ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि नियमों का उल्लंघन करनेवाली सबसे ज्यादा मेडिकल इकाइयां महाराष्ट्र में 4,667, बिहार में 1,221 और केरल में 1,547 हैं। जांच के दौरान सबसे ज्यादा बायोमेडिकल कचरा उगलनेवाले तीन राज्यों में कर्नाटक 62,241 किलो, उत्तर प्रदेश में 44,392 किलो, महाराष्ट्र 40,197 किलो पाया गया। कर्नाटक में नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है क्योंकि वह रोजाना 18,270 किलो मेडिकल कचरे को ठिकाने ही नहीं लगाया जाता है।

मेडिकल कचरा निस्तारण के मानक तय हैं कि किस तरह के बैग में किस तरह का कचरा इकट्ठा किया जाना चाहिये। मसलन, नीले-काले बैग में ग्लूकोज की बोतल व अन्य कचरे, लाल बैग में सीरिंज, वीगो, ग्लूकोज बोतल, पीले बैग में ऑपरेशन थियेटर के कचरे, कटे अंग, ड्रेसिंग के बाद निकला कचरा आदि। निस्तारण के लिए कचरे को इंसीनेटर के पहले चेंबर में 750 डिग्री, जबकि दूसरे में 1050 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। आटोक्लेव करने में 15 पाउंड प्रेशर से स्टरलाइज करना जरूरी होता है। इसके बाद कचरे को पॉलीथिन में लपेट कर जमीन में दबाने और उस स्थान के ऊपर पौधारोपन के निर्देश हैं।

बिमारियां और मौतें

शरीर के खराब अंग, ट्यूमर, ग्लैंड्स, टिश्यू व सर्जरी के दौरान निकाले गये मानव शरीर के हिस्से ऐसे बेस्ट में आते हैं। ऑपरेशन के दौरान निकले रोगी के खून, फ्लूड, काटन आदि के सम्पर्क में आने से दूसरे लोगों को भी बीमारी का संक्रमण हो जाता है। कैंसर विकिरणयुक्त कचरे में कैंसर ग्रस्त अंग और बाडी फ्ल्यूड की विट्रो एनालिसिस आदि शामिल हैं। मेडिकल कचरे से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स के संक्रमण की आशंका रहती है अस्पतालों में इस्तेमाल हो चुकी सीरिंज चुभने से अस्पताल के कर्मचारियों को भी संक्रमण हो जाता है। इनमें सबसे खतरनाक निडिल है, जो तमाम असाध्य रोगों में इस्तेमाल होती हैं। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस बी के संक्रमित लोगों में से तीन प्रतिशत तो सिर्फ मेडिकल कचरे की वजह से बीमार होते हैं, जबकि प्वाइंट तीन फीसदी एड्स पीड़ितों को यह बीमारी भी मेडिकल कचरे में पड़ी सुईयों के चुभने से हो जाती है। खुले में फेंके जाने वाले मेडिकल कचरे से संक्रमण तो फैल ही रहा है, यह जानलेवा भी साबित हो रहा है।

अगर कचरे को 1,150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर भस्म नहीं किया जाता तो यह लगातार डायोक्सिन और फ्यूरान्स सरीखे आर्गेनिक प्रदूषक पैदा करता है। जिससे कैंसर, प्रजनन और विकास संबन्धी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली, प्रजनन क्षमता पर असर डालते हैं, शुक्राणु कम करते हैं और मधुमेह का कारण बनते हैं। फ़रवरी 2009 में गुजरात के मोडासा कस्बे में वायरल हेपिटाइटस की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग की जांच से पता लगा कि बायोमेडिकल कचरे को ठीक से ठिकाने न लगाए जाने की वजह से घातक वायरल फैल गया। हर बड़े शहर में कचरा बीनने वाले बच्चे चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं लेकिन बाल संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले तमाम गैर सरकारी संगठनों के होंठ भी सिले हुए हैं।

अगर कचरे को 1,150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर भस्म नहीं किया जाता तो यह लगातार डायोक्सिन और फ्यूरान्स सरीखे आर्गेनिक प्रदूषक पैदा करता है। जिससे कैंसर, प्रजनन और विकास संबन्धी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली, प्रजनन क्षमता पर असर डालते हैं, शुक्राणु कम करते हैं और मधुमेह का कारण बनते हैं। फ़रवरी 2009 में गुजरात के मोडासा कस्बे में वायरल हेपिटाइटस की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग की जांच से पता लगा कि बायोमेडिकल कचरे को ठीक से ठिकाने न लगाए जाने की वजह से घातक वायरल फैल गया। हर बड़े शहर में कचरा बीनने वाले बच्चे चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं लेकिन बाल संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाले तमाम गैर सरकारी संगठनों के होंठ भी सिले हुए हैं।

निजी अस्पताल मुनाफ़े की हवस के चलते लागत घटाने के लोभ में और सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य बजट में कमी के चलते कचरे के निस्तारण के आपराधिक लापरवाही बरत रहे हैं। इसके खतरों की जानकारी सबको है। इस पर नियंत्रण के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारीगण भी नियुक्त हैं। जाहिर है कि यह अनजाने में हो रही गलती नहीं, बल्कि जनता की जिन्दगी से जान-बूझकर खिलवाड़ है। इस लापरवाही के कारण हमारे देश के सरकारी और निजी अस्पताल जितने रोगियों का इलाज करते हैं, उससे कई गुना अधिक अबोध और निर्दोष लोगों को बेवजह जानलेवा बीमारियों का शिकार बनाते हैं। इस व्यवस्था में निहित हृदयहीनता और चरम स्वार्थ का इससे बड़ा प्रमाण भला और क्या हो सकता है?

बीते दो वर्षों में 'मज़दूर मोर्चा' ने फ़रीदाबाद गुड़गांवा सहीत पूरे हरियाणा में इसी कचरे के निस्तारण पर गंभीर सवाल उठाये हैं। इस कचरे के निस्तारण के नाम पर हरियाणा प्रदूषण बोर्ड ने जमकर लूट मचाई व प्रदूषण फैलाया। इस लूट कमाई के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने एक निकट संबंधी को बोर्ड का सचिव बनाकर रखा था।

तब भी उन्हें देश भक्त होना चाहिए

28 साल कोई कम नहीं होते। और उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा होते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को पुलिसिया नरसंहार में खो दिया हो। 20 साल में दो पीढियां निकल जाती हैं पर भारत की न्यायपालिका को 41 लोगों की हत्या के मामले में फ़ैसला सुनाने के लिये काफ़ी कम लगता है।

बात मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार की हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश की पीएसी ने 27 मई, 1987 को हाशिमपुरा से दिन के उजाले में पचासों लोगों को उठाया और और फिर रात के अंधेरे में उन्हें गोली मारकर गंगहर और हिंडन नदी में बहा दिया। इस मामले में शुरूआती कार्यवाही किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने की और वह भी उसी रात। यह की गयी हिन्दी के सुख्यात या कुख्यात साहित्यकार पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय के नेतृत्व में जो तब गाजियाबाद में तैनात थे। इससे पांच लोगों को बचाया भी जा सका।

लेकिन 28 साल बाद जब अदालत ने फ़ैसला सुनाया तो उसने बताया कि ये पांचों बचे हुए गवाह भरोसेमंद नहीं हो सकते क्योंकि रात के अंधेरे में इन घबराये हुए लोगों द्वारा कनटोप पहने पीएसी जवानों को पहचानना मुश्किल था। बाकी सबूत तो भला पुलिस क्या मुहैया कराती। ऐसे में सभी 19 अभियुक्त बाइज्जत बरी हो गये।

दिन के उजाले में पीएसी वालों ने लोगों को उठाया था और बाद में उनकी लाशें नहरों के किनारे या पानी में मिली थीं। यह जानना और निश्चित करना कोई मुश्किल नहीं था कि किन पीएसी जवानों व अफ़सरों ने यह काम किया था। पर अदालत के लिये यह पर्याप्त नहीं था।

लेकिन भारत की नीचे से लेकर ऊपर तक सारी अदालतों के लिये कोई भी सबूत पर्याप्त हो जाता है जब मामला विरोधी पक्ष का हो यानी शोषित-उत्पीड़ित का। अफजल गुरू के मामले में सवोच्च न्यायालय तक फ़र्जी सबूतों को सही मान लेता है और इससे भी आगे जाकर कहता है कि 'जन भावना' को संतुष्ट करने के लिये अफजल गुरू को फ़ांसी लटकाया जाना जरूरी है। मारुति के मज़दूर सारे फ़र्जी गवाहों के बावजूद जमानत पर छूट नहीं पाते। इसमें फ़र्जी गवाह वर्णमाला के क्रम में नाम से अभियुक्तों को पहचानते हैं पर न्यायालय को यह सच लगता है।

पिछले तीन दशकों से हज़ारों मुसलमान आतंकवाद के नाम पर जेलों में बिना मुकदमा चलाये बंद हैं- कोई पांच से तो कोई दस-पन्द्रह साल से। इनमें से कोई फ़र्जी सबूतों के आधार पर निचली अदालतों द्वारा दोषी करार दिये गये हैं। अक्षरधाम मंदिर का मामला इसमें सर्वोपरि है जिसमें दोषियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया निर्दोष ठहराया गया, किसी तकनीकी आधार पर छोड़ा नहीं गया। 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में मुस्लिम अभियुक्त सजाएं काट रहे हैं (यह मामला संजय दत्त के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहा) पर इसके पहले के 1992 के दिसम्बर के दंगों में किसी को सज़ा नहीं हुई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये दंगे भाजपा-शिवसेना और पुलिस ने अंजाम दिये थे। इसी तरह गोधरा कांड के बाद ढेरों मुसलमान तुरंत पकड़ कर जेलों में डाल दिये गये पर इसके बाद के गुजरात नरसंहार के दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए मानवाधिकार संगठनों को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है।

इस सबके बावजूद इस देश के उत्पीड़ित मुसलमानों से मांग की जाती है कि वे अपनी देशभक्ति साबित करें। वे हर समय यह दिखाएं कि वे देश के साथ हैं, कि वे पाकिस्तान के हामी नहीं हैं, कि वे आतंकवादी नहीं हैं।

हाशिमपुरा के लोगों ने फैसला आने के बाद कहा कि उन्हें इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाने के लिए सैंकड़ों-हज़ारों तथ्यस मौजूद हैं। इन तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। फ़िर भी हाशिमपुरा के लोग गलत हैं। यह सच है कि उन्हें इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। पर यह इसलिए कि अभी यह देश टाटा-बिडला-अंबानी का है, यह मोदी-अमित शाह, मुलायम सिंह और आजमखान का है। इसमें केवल हाशिमपुरा के लोगों को ही न्याय से वंचित नहीं रखा जाता, इसमें मारुति के मज़दूरों को भी न्याय से वंचत रखा जाता है, इसमें बिहार के उन गरीबों को भी न्याय से वंचित रखा जाता है, जो भूमिसेना व रणबीर सेना इत्यादि के कत्लेआम के शिकार हुए।

इस देश में न्याय पाने के लिये पहले देश के शोषकों-उत्पीड़कों के हाथ से छीनना होगा।

-नागरिक